| | | |
|---|---|---|
| | (ठ) तत्समय लागू किसी नियम के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा भ्रष्ट आचरण के लिए अयोग्य करार किया गया हो अथवा इस प्रकार अयोग्य रहने के दौरान किसी चुनाव के समय चुनावी अपराध किए हों; अथवा<br><br>(ड) खण्ड (च) की शर्तों पर अथवा लोक सभा चुनाव के प्रयोजन हेतु तत्समय लागू किसी नियम के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो । | |
| | **14.** यदि किसी व्यक्ति के धारा 4, धारा 7 और 13 में निर्दिष्ट शर्तों पर अयोग्य ठहरने, पर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, उसे उपायुक्त के पास उनके निर्णय के लिए भेज दिया जाएगा ।<br><br>परन्तु शर्त है कि ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय देने से पूर्व उप आयुक्त चुनाव आयोग की राय लेगा और उनके राय के अनुसार कार्य करेगा । | |
| | **15.** (1) इस विनियम के तहत पहली बार ग्राम परिषद की अवधि के समाप्त होने पर या इसके पुनर्गठन पर सहायक आयुक्त, सैकेंड कैप्टन के चुनाव जो ग्राम परिषद के चयनित उम्मीदवारों में किया जाएगा, के लिए बैठक बुलाएगा ।<br><br>(2) चुनाव, संबंधित सहायक आयुक्त की सीधी निगरानी में होगी, जिसमें बैठक की अध्यक्षता, ग्राम परिषद के फर्स्ट कैप्टन करेगा जिसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।<br><br>(3) ऐसी बैठक में सैकेंड कैप्टन के चयन के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं होगा ।<br><br>(4) मतदान में समानता के मामले में चुनाव के परिणाम सहायक आयुक्त द्वारा चिट्ठी डाल कर उस तरीके से किया जाएगा जैसा उन्होंने निर्धारित किया है । | |
| | **16.** ग्राम परिषद की कार्यपालक शक्तियाँ, इस विनियम के तहत दिए गए कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन और ग्राम परिषद के संकल्पों को पूरा करने का दायित्व फर्स्ट कैप्टन में निहित होगी । | कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए फर्स्ट कैप्टन |
| | **17.** (1) ग्राम परिषद, तत्समय लागू किसी नियम के तहत जब तक तुरन्त विघटित नहीं हो जाती, इसकी बैठक की नियत तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं ।<br><br>(2) उप धारा (1) में शामिल इन सब के बावजूद, इस विनियम के लागू होने से पूर्व ग्राम जनजातीय परम्परा के तहत कार्यरत किसी परिषद अथवा निकाय के सदस्य का अस्तित्व धारा 11 के अंतर्गत ग्राम परिषद के चुनाव की तारीख से समाप्त हो जाएगी । | ग्राम परिषद की अवधि |